28 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा

पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण 28 फरवरी तक देने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। इसके अनुसार, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी जमा करनी है। सभी उपक्रमों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद के कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संपत्ति का ब्योरा 31 मार्च तक विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।